

**कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छठगठ)**

**विज्ञापन**

क्रमांक- क /भर्ती/2014

बिलासपुर, दिनांक 24 मई, 2014

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 25-06-2014 संख्या 5:00 बजे तक।

बिलासपुर न्यायिक जिला स्थापना के अंतर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर हिन्दी एवं अंग्रेजी तथा सहायक ग्रेड-तीन के निम्नांकित पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				सामान्य वर्ग			
			पुरुष	महिला	विकलांग	मूतबध्द	पुरुष	महिला	विकलांग	मूतबध्द	पुरुष	महिला	विकलांग	मूतबध्द	पुरुष	महिला	विकलांग	मूतबध्द
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	01	0	0
2	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	23	04	03	01	01	04	02	0	01	01	01	0	0	03	01	0	01
	<b>योग-</b>	25	04	03	01	01	04	02	0	01	01	01	0	0	04	02	0	01
3	सहायक ग्रेड-3	69	15	09	02	03	08	04	01	01	01	01	0	0	14	07	01	02
	<b>योग-</b>	69	15	09	02	03	08	04	01	01	01	01	0	0	14	07	01	02

**भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :-**

(1) स्टेनोग्राफर (हिन्दी) पद के लिए-

अ- वेतनमान- वेतन बैंड 5200-20200/- ग्रेडवेतन 2800/-

ब- शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
3. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम0एस0 वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान ।

(2) स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) पद के लिए-

अ- वेतनमान- वेतन बैंड 5200-20200 /- ग्रेडवेतन 2800 /-

ब- शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
3. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम0एस0 वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान ।

(3) सहायक ग्रेड-3 पद के लिए-

अ- वेतनमान- वेतन बैंड 5200-20200 /- ग्रेडवेतन 1900 /-

ब- शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
3. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम0एस0 वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान ।

महत्वपूर्ण-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

अनुसूचित जाति/जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हों, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं।

किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

आयु एवं पात्रता

(हिन्दी स्टेनोग्राफर, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड-तीन)

- (1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)।
  - (अ)- कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
  - (ब) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) दिनांक 01-01-2014 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो परन्तु 40 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो।

(3) उच्चतम आयु सीमा में छूट:-

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:-

- 3 (एक) (1)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- 3 (एक) (2)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ-7-25-93/1 आ.प. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- 3 (एक) (3)- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कान्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- 3 (एक) (4)- ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:- छंटनी किए गए शासकीय सेवक, से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

- 3 (एक) (5)– ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।
- 3 (एक) (6)– महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।
- 3 (एक) (7)– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
- 3 (एक) (8)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 3 (एक) (9)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।
- 3 (दो) (1)– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।
- 3 (दो) (2)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक-सी.3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 3 (दो) (3)– विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक- सी.3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) बिंदु क्रमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी ।

(2) बिंदु क्रमांक 3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण :- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ ग्रीन कार्डधारी तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो, तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी । ग्रीन कार्ड अथवा अन्तरजातीय विवाह के निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी । यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक केवल ग्रीनकार्ड धारक हों, तो उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट के साथ ग्रीन कार्ड धारकों के लिए दो वर्ष की और अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा। अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अन्तरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

### आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

- 1- आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ए-4 साईज के पेपर में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 25-06-2014 की संख्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद "सहायक ग्रेड-तीन एवं स्टेनोग्राफर हिन्दी अथवा अंग्रेजी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र" लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश विलासपुर, (छ0ग0) के कार्यालय में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/कोरियर द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। दिनांक 25-06-2014 की संख्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक है।

- 2- जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण-पत्र अथवा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- 3- ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख का उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 4- आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पूर्ण पता लिखे हुये दो खुले लिफाफे प्रत्येक पर 5/- की डाक टिकट चस्पा करते हुये आवश्यक रूप से संलग्न करें। यदि आवेदक द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जवाबदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- 5- आवेदक यदि अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिन्दी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड-3 के सभी या कोई दो पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

### चयन प्रक्रिया

(अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिन्दी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड-तीन पद हेतु)

अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिन्दी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड-3 के पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा का आयोजन किया जावेगा। चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी, जिनके निम्नानुसार अंक निर्धारित किए गए हैं :-

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 1- | लिखित परीक्षा (बहुविकल्पिय वस्तुनिष्ठ प्रश्न) - | 100 अंक |
| 2- | प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा -               | 50 अंक  |

### प्रथम चरण : लिखित परीक्षा

(अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिन्दी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड-तीन पद हेतु)

लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ से प्रश्न, कम्प्यूटर, इंटरनेट, समसामयिक प्रश्न, गणित व साहित्य-संस्कृति विषयक प्रश्न से संबंधित 100 अंको का बहुविकल्पिय 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रश्नों के 4 विकल्प होंगे, जिसमें से एक विकल्प का चयन करना होगा। सही चयन किए गए विकल्प पर प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित होंगे तथा गलत चयन किए गए विकल्प पर कोई अंक नहीं दिया जावेगा। परीक्षावधि 1.30 (डेढ़) घण्टे की होगी।

प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों की तीन गुनी संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

### द्वितीय चरण : कौशल परीक्षा

अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु- अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 5 मिनट का अंग्रेजी श्रुत लेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद हेतु- हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 5 मिनट का हिन्दी श्रुत लेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु- इस पद हेतु उम्मीदवार को 250 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट में कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि पर अंक की कटौती की जावेगी।

### चयनसूची एवं प्रतीक्षा सूची

दोनों चरणों की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं रिक्त पदों की संख्या की दोगुनी वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। मेरिट सूची तैयार करते समय कौशल परीक्षा में 10 अंक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के नाम पर विचार नहीं किया जायेगा।

### अन्य आवश्यक सूचनाएं

- 1- छ0ग0 शासन सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होने पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी या सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- 2- अभ्यर्थी को परीक्षा के किसी भी चरण में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।



- 3- चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गयी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 4- परीक्षा में सम्मिलित होने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा की आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
- 5- महिला हेतु आरक्षित पदों पर योग्य महिला उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर उसी संवर्ग के पुरुष उम्मीदवार का चयन किया जा सकेगा।
- 6- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 7- चयनित उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराए जाने पर यदि कोई विपरीत टिप्पणी पायी जाती है तो किसी भी समय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
- 8- यह विज्ञापित बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
- 9- रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
- 10- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- 11- चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को होगा।
- 12- चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर का निष्कर्ष अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।


### अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

### अन्य विशेष सूचनाएँ

जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाए जाएंगे, उन्हें लिखित परीक्षा तथा प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु सूचना पत्र उनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये डाक लिफाफा के माध्यम से जारी किए जाएंगे। उपयुक्त पाए गए तथा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों से संबंधित उम्मीदवारों की पृथक-पृथक सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। साथ ही जिन उपयुक्त आवेदकों को परीक्षा तिथि के पूर्व तक लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे परीक्षा तिथि को निर्धारित समय के पूर्व अपने आवेदन पत्र जमा करने के प्रमाण सहित उपस्थित हो सकेंगे। परीक्षण उपरांत उनकी उम्मीदवारी यदि सही पाई गई, तो उन्हें लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी।

जिला न्यायालय की वेबसाईट [www.districtcourt-bilaspur.cg.nic.in](http://www.districtcourt-bilaspur.cg.nic.in) पर भी लिखित परीक्षा हेतु उपयुक्त, अनुपयुक्त उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध कराई जावेगी।

  
 प्रभारी अधिकारी,  
 चयन समिति  
 कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
 बिलासपुर (छ0ग0)

**आवेदन पत्र का प्रारूप**  
( सहायक ग्रेड-तीन/स्टेनोग्राफर (हिन्दी एवं अंग्रेजी) के पदों पर नियुक्ति हेतु )

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कलेक्टर कार्यालय के सामने,  
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

आवेदक का  
स्वहस्ताक्षरित  
पासपोर्ट साईज  
का फोटो

1. आवेदित पद का नाम : .....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में): .....
- .....
- (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में): .....
3. लिंग- पुरुष, संकेतांक-1. महिला संकेतांक-2
4. पिता/पति का नाम : .....
5. (अ)पत्र व्यवहार का वर्तमान पता(हिन्दी में): .....
- .....
- .....
- .....
- (ब)स्थायी पता : .....
- .....
- .....
6. (अ) जन्म तिथि अंको में
- शब्दों में.....
- (ब) दिनांक 1-1-2014 को आयु वर्ष  माह  दिन
7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हां / नहीं
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हैं ? हां / नहीं
- (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें ।

10. क्या आवेदक विकलांग है ? हां / नहीं   
(यदि हां तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें )
11. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत
12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? हां / नहीं   
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
13. रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक  दिनांक
14. रोजगार कार्यालय का नाम
15. क्या आप विवाहित है ? (हां/नहीं)
16. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि
17. जीवित बच्चों की संख्या

क्रमांक	नाम	लिंग	जन्मतिथि
1	2	3	4

18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्रमांक	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक
1	2	3	4	5	6

19. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है ?  
हाँ/नहीं ? (यदि हाँ तो सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण  
पत्र संलग्न करें ) .....
20. क्या आवेदक को किसी दांडिक प्रकरण में दोषसिद्ध ठहराया गया है  
अथवा दांडिक प्रकरण दर्ज हुआ हो तो प्रकरण की स्थिति के संबंध  
में दस्तावेज संलग्न करें .....
21. संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची –
1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....

### घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये  
गये विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और  
विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठे पाये जाते हैं तो मेरी  
उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक .....

स्थान .....

आवेदक का हस्ताक्षर  
नाम एवं पूरा पता